झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भ. I, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02.त0शि0/योजना–03/2019 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

विषयः– **बी0आई0टी0 सिन्दरी के परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित विपत्र भुगतान हेतु रू0 15,00,00,000/– (रू0 पन्द्रह करोड़) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित बी0आई0टी0 सिन्दरी के परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 10.11.2022 में योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं विभागीय पत्रांक 15/योजना दिनांक 17.11.2022 के द्वारा प्राक्कलित राशि रू 89,03,23,400/– (रू0 नवासी करोड़ तीन लाख तेईस हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. बी0आई0टी0 सिन्दरी के परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को कुल रू0 85,00,00,000/– (रू0 पचासी करोड़) मात्र की राशि झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को विमुक्त की जा चुकी है। कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का पत्रांक पत्रांक 1734(नि0) दिनांक 14.07.2025 द्वारा विषयांकित कार्य के विपत्र भुगतान हेतु राशि की अधियाचना की गयी है तथा झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के पत्रांक 2670(नि0) दिनांक 15.10.2025 द्वारा उक्त राशि के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत् है –

आवंटनादेश सं0 एवं तिथि	निकासी की गयी कुल राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
01/बजट, 16.05.2023	85,00,00,000/–	84,99,08,380/–
12/बजट, 17.10.2023		
30/बजट, 28.03.2024		
09/बजट, 07.10.2024 एवं		
28/बजट, 19.03.2025		

3. उक्त तथ्यों के आलोक में बी0आई0टी0 सिन्दरी के परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित चालू वित्तीय वर्ष 2026–26 में राशि की निकासी हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 22/योजना दिनांक 31.10.2025 के आलोक में कुल रू0 15,00,00,000/– (रू0 पन्द्रह करोड़) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–06– तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार के निर्माण कार्य इकाई में उपबंधित राशि में से की जायेगी।

विपत्र कोड – 43S42020210506010545

5. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान के माध्यम से झारखण्ड राज भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेगें।
6. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।
8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
9. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची की यह जिम्मेवारी होगी कि PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत राशि की निकासी कर नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।
10. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
11. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
13. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

विश्वासभाजन

ह0/–

(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–03/2019 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–03/2019/17/बजट /राँची, दिनांक– 07.11.2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड /निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/बजट पदाधिकारी/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/लेखा शाखा/बजट शाखा एवं प्रभारी निर्गत शाखा/नोड़ल पदाधिकारी को Upload करने हेतु एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/XI/25

सरकार के अपर सचिव